केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा
DEPARTMENTAL EXAMINATION OF INSPECTORS OF CENTRAL EXCISE

प्रश्न पत्र–प्रथम (PAPER-I)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पुस्तक रहित) CENTRAL EXCISE (Without Books)

दिनांक : 09.12.2014 (Date : 09.12.2014) **पूर्णांक : 100 (MAXIMUM MARKS: 100)**
समय : 10.00 पू० से 01.00 अ० (Time : 10.00 am To 1.00 PM) **उत्तीर्णांक : 50 (PASS MARKS: 50)**

टिप्पणी : सभी प्रश्नों के अंक समान है। **प्रश्न संख्या 2 अनिवार्य है।** शेष 6 प्रश्नों में से **4 प्रश्नों** के उत्तर दें। सभी उत्तरों के साथ सुसंगत प्राधिकार उल्लेख अवश्य करें।

NOTE: All questions carry equal marks. Question number 2 is compulsory. Attempt any four out of remaining six questions. Proper Authority should be necessarily quoted while answering.

प्रश्न : 1 बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) **(20 × 1 = 20 marks)**

(1) निम्नलिखित माल पर उत्पाद शुल्क उद्‌गृहीत किया जा सकता है :–
(क) भारत के विनिर्मित
(ख) भारत में विक्रीत
(ग) कारखाने से हटाया गया
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

(1) Excise duty can be levied on those goods which are
(a) Manufactured in India
(b) Sold in India
(c) Removed from the factory
(d) None of the above

(2) अशुल्क्य (शुल्क नहीं लगाने योग्य) माल से तात्पर्यित हैः–
(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अध्यधीन माल
(ख) वह माल जो उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।
(ग) उत्पाद शुल्क नही अधिरोपित करने योग्य माल।
(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ में बिल्कुल ही अलिखित माल

(2) Dutiable goods means
(a) Goods are subject to Central Excise duty
(b) Goods which are exempted from excise duty
(c) Non excisable goods
(d) Goods not at all mentioned in the Central Excise Tariff

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन हटाने (अपसारण) के स्थान से तात्पर्यित हैः–
(क) वितरक के स्थान से माल का हटाया जाना
(ख) सीमा शुल्क स्टेशन के स्थान से माल का हटाया जाना
(ग) कारखाने से माल का हटाया जाना
(घ) उपर्युक्त में से कोई नही

(3) Place of Removal under Central Excise means
(a) Removing the goods from the place of distributor
(b) Removing the goods from the place of Customs Station
(c) Removing the goods from the place of factory
(d) None of the above

(4) शुल्क के लिये अयोग्य माल से तात्पर्यित है :–
(क) टैरिफ अधिनियम में नही उल्लिखित किए गए उत्पाद का नाम
(ख) टैरिफ अधिनियम में उल्लिखित उत्पाद का नाम
(ग) शल्क के दर के साथ टैरिफ अधिनियम में उल्लिखित उत्पाद का नाम
(घ) शून्य दर के साथ टैरिफ अधिनियम में उल्लिखित उत्पाद का नाम

(4) Non-Dutiable goods means
(a) Name of the product not mentioned in the Tariff Act
(b) Name of the product mentioned in the Tariff Act
(c) Name of the product mentioned in the Tariff Act with the Rate of Duty
(d) Name of the product mentioned in the Tariff Act with the Zero Rate

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान निम्नलिखित पर निर्भर करता है :–
(क) अपसारण (हटाए जाने) के स्थान से माल का अपसारण
(ख) कारखाने में माल का विनिर्माण
(ग) माल का अभिगृहीत विनिर्माण
(घ) शाखा में स्थानान्तरण के लिए माल का अपसारण

(5) Payment of Central Excise Duty depends up on

(a) Removal of goods from the place of removal
(b) Manufacture of goods in the factory
(c) Deemed manufacture of goods
(d) Removal of goods for branch transfer

(6) विनिर्माता द्वारा विनिर्मित मद्यसारिक माल पर उत्पाद शुल्क निम्नलिखत को देय है :

(क) राज्य सरकार
(ख) केन्द्र सरकार
(ग) निगम
(घ) स्थानीय प्राधिकारी

(6) The excise duty on alcoholic goods manufactured by the manufacturer is payable to

(a) State Government
(b) Central Government
(c) Corporation
(d) Local authority

(7) निम्नलिखित में से कौन–सा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में समाविष्ट है?

(क) आधारित उत्पाद शुल्क (बीईडी)
(ख) विशेष उत्पाद शुल्क
(ग) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
(घ) शिक्षा उपकर (सेस)

(7) Which of the following duties is covered under the First Schedule of the Central Excise Tariff Act?

(a) Basic Excise duty
(b) Special Excise Duty
(c) Additional Excise Duty
(d) Education Cess

(8) निम्न लिखित में से कौन–सा शुल्क राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अधीन है ?

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
(ख) सीमा शुल्क
(ग) सेवाकर
(घ) वैट

(8) Which of the following duties is under the purview of the State Government?

(a) Central Excise duty
(b) Customs duty
(c) Service tax
(d) VAT

(9) वह कौन सा माल है जो अभी भी भौतिक नियंत्रण में है ?

(क) प्लास्टिक उत्पाद
(ख) सिगरेट उत्पाद
(ग) परिधान उत्पाद
(घ) ग्लास उत्पाद

(9) Which are the goods still under the physical control?

(a) Plastic products
(b) Cigarette products
(c) Apparel products
(d) Glass products

(10) उत्पाद 'X' के विनिर्माण के समय 14 प्रतिशत आधारित उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जा सकता था। अपसारित करने (हटाने) के समय शुल्क का दर 8 प्रतिशत है। उत्पाद 'X' के लिए क्या शुल्क लगाया जा सकता है ?

(क) 14%
(ख) 8%
(ग) 11% (औसत)
(घ) शून्य (क्योकि दर परिवर्तित हो गया है)

(10) At the time of manufacture of product X attracts 14% BED. At the time of removal the rate of duty is 8%. Which is the duty attracts for the product X

(a) 14%
(b) 8%
(c) 11% (Average)
(d) Zero (Because the rate has changed)

(11) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 के नियम 15 के अनुसार उन विनिर्माताओं को शुल्क के भुगतान का विकल्प उपलब्ध था जो निम्नलिखित वस्तुओं में से कोई वस्तु विनिर्मित करते है :–

(क) एलुमिनियम क्षेत्र
(ख) प्लास्टिक उत्पाद
(ग) स्वर्ण उत्पाद
(घ) कृषि उत्पाद

(11) As per Rule 15 the Central Excise Rules, 2002, the option of paying duty is available to those manufacturers who manufacture.

(a) Aluminium circles
(b) Plastic Products
(c) Gold Products
(d) Agriculture Products

(12) बाट और माप अधिनियम, 1976 और उपशमन के दर से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन निम्नलिखितानुसार विनिर्दिष्ट माल का शुल्क निर्धारण किया जा सकता है।

(क) अधिकतम फुटकर कीमत
(ख) संव्यवहार मूल्य
(ग) फुटकर कीमत
(घ) थोक मूल्य

(12) Goods specified under Standards of Weights and Measures Act, 1976 as well as in the notification issued by the Government of India along with rate of abatement can be assessed under:-

(a) Maximum Retail Price
(b) Transaction Value
(c) Retail Price
(d) Whole Sale Price

(13) आतंरिक रूप से (कैप्टिवली)उपमुक्त माल से तात्पर्यित है :–

(क) कारखाने में विनिर्मित एवं उपमुक्त माल
(ख) विनिर्मित माल
(ग) कारखाने में क्रीत एवं प्रयुक्त माल
(घ) किसी शाखा से प्राप्त माल

(13) Captively Consumed Goods means

(a) Goods manufactured and consumed with in the factory
(b) Goods manufactured
(c) Goods purchased and used in the factory
(d) Goods received from branch

(14) अन्तः संबद्ध उपक्रम से तात्पर्यित है :

(क) मुख्यालय और शाखा
(ख) नियंत्रक एवं सहायक कम्पनियां
(ग) कम्पनियों का समूह
(घ) उपर्यक्त में से कोई नहीं

(14) Interconnected undertakings means

(a) Head office and Branch office
(b) Holding and subsidiary companies
(c) Group of companies
(d) None of the above

(15) निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट शुल्क दर से अधीन आएगा ?

(क) सिगरेट उत्पाद
(ख) काष्ट उत्पाद
(ग) प्लास्टिक उत्पाद
(घ) (आयरन और स्टील) लौह एवं इस्पात

(15) Which one of the following will come under the Specific Rate of Duty?

(a) Cigarette product
(b) Wood product
(c) Plastic product
(d) Iron and steel

(16) उत्पाद के आतंरिक उपभोग के मामले में उत्पाद लागत में कितने प्रतिशत की बढोत्तरी की जानी चाहिए ?

(क) 15%
(ख) 10%
(ग) 0%
(घ) 20%

(16) What percentage should be added to the cost of production in the case of captive consumption?

(a) 15%
(b) 10%
(c) 0%
(d) 20%

(17) एम आर पी उत्पाद निर्धारणीय मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाएगा :–

(क) संव्यवहार आधार
(ख) एम आर पी रहित उपशमन
(ग) टैरिफ मूल्य का प्रतिशत
(घ) उपर्युक्त में से कोई नही

(17) MRP product Assessable value will be calculated as

(a) Transaction basis
(b) MRP less abatement
(c) Percentage of tariff value
(d) None of the above

(18) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करने वाली धारा :–

(क) धारा – 11
(ख) धारा – 13
(ग) धारा – 14
(घ) धारा – 11एए

(18) Section giving power of arrest to Central excise officer

(a) Section 11
(b) Section 13
(c) Section 14
(d) Section 11 AA

(19) निर्धारणीय मूल्य में निम्नलिखित में से एक समाविष्ट नहीं है :–

(क) साम्रगी की लागत
(ख) लागत बीमा
(ग) परिवहन लागत
(घ) विलम्ब भुगतान पर ब्याज

(19) Assessable value does not include one of the following

(a) Cost of material
(b) Cost insurance
(c) Cost of transportation
(d) Interest on delayed payment

(20) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा तंग करने वाली तलाशी, अभिग्रहण इत्यादि :–

(क) धारा– 17
(ख) धारा – 19
(ग) धारा – 22
(घ) धारा – 21

(20) Vexatious search, seizure, etc, by Central Excise Officer

(a) Section 17
(b) Section 19
(c) Section 22
(d) Section 21

प्रश्न : 2 उत्पाद शुल्क विधि के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी क्या है ? **20 अंक**

Q.2- What are the returns to be filed by the Assessee under the Excise Law? **(20 marks)**

प्रश्न : 3 **(4 x 5 = 20 अंक)**

(क) माल के वर्गीकरण (क्षेणीकरण) से क्या तात्पर्य है ?
(ख) केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम (सेटा) की सरंचना की चर्चा करें।
(ग) केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम के अधीन वर्गीकरण की पद्धति क्या है ?
(घ) फुटकर कार्य (जॉब वर्क) पर संरक्षित टिप्पणी लिखें ?

अथवा

अनुद्गृहीत, असंदत्त, कम उद्गृहित या कम संदत्त या त्रटिपूर्ण तरीके से वापसी किए गए शुल्क की वसूली की व्याख्या करें।

Q. 3 **(4 x 5=20 marks)**

(a) What is meant by classification of goods?
(b) Discuss the structure of CETA (Central Excise Tariff Act).
(c) What is the system of classification in CETA?
(d) Write short note on 'Job Work'

OR

Explain recovery of duties not levied or not paid, short levied or short paid or erroneously refunded.

प्रश्न : 4 **(4 x 5=20 marks)**

(क) निर्धारणीय मूल्य और निर्धारणीय मूल्य के अवधारण में सम्बन्धित सिद्धांतों की व्याख्या करें।
(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के सम्दर्भ में संव्यवहार मूल्य की व्याख्या करें।
(ग) उत्पादन शुल्क योग्य माल को निर्धारणीय मूल्य के रूप में संव्यवहार मूल्य मानने के लिए क्या शर्ते है ?
(घ) शुल्क की छूट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

Q.4 **(4 x 5=20 marks)**

(a) Explain Assessable Value and the related principles in determining assessable value.
(b) Explain Transaction Value with reference to Central Excise Act, 1944.
(c) What are the conditions for treating the transaction value as the assessable value of the excisable goods?
(d) Write short note on remission of duty.

प्रश्न : 5

(क) अपसारण (हटाये जाने) के स्थान की चर्चा करें।
(ख) विक्रय मूल्य रू0 264, उत्पाद शुल्क @16 प्रतिशत अलग से दर्शाया नही गया। इसका संव्यवहार मूल्य क्या है ?
(ग) टैरिफ के निर्वचन के समान्य नियमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

Q. 5

(a) Discuss Place of Removal (5 Marks)
(b) Sale price Rs.264. Excise duty @ 16% not shown separately. What is the transaction value? (5 Marks)
(c) Write short note on General Rules of Interpretation of tariff. (10 Marks)

प्रश्न : 6

(क) उत्पाद शुल्क विधि में विभिन्न परिस्थितियों के लिए अपेक्षित बन्धपत्र के विधिक प्रकारों का वर्णन करें। (8 अंक)
(ख) उत्पाद शुल्क विधि के अधीन अंतिम निर्धारण कब किया जा सकता है ? (2 अंक)
(ग) उच्च विनिर्णय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें । (10 अंक)

Q.6

(a) State the various types of bonds required for different circumstances in Excise Law. (8 Marks)
(b) When can Provisional Assessment be made under Excise Law? (2 Marks)
(c) Write short note on Advance Ruling (10 Marks)

प्रश्न : 7

(क) बड़ा कर दाता कौन है ? एल टी यू क्या है ? (10 अंक)
(ख) उन शुल्कों के प्रकार का वर्णन करें जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया जा सकता है। (10 अंक)

Q.7

(a) Who is a Large Tax Payer? What is an LTU? (10 Marks)
(b) Enumerate types of duties of which CENVAT credit can be taken. (10 Marks)

****